भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

CALCUTTA REGIONAL OFFICE

पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

NON-DEPOSITE TAKING COMPANY

संख्या
No. 05.02321

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई ए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एस. आर. कैपिटल सर्विसिस (प्री) लि. को

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार ~~करने के~~/ करते रहने के लिए दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया ।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

S.R. CAPITAL SERVICES (P) LTD.

is hereby granted

Certificate of Registration

to ~~xxxxxxxxx~~/ carry on the business of non-banking financial institution subject to the conditions given on the reverse.

वर्ष उन्नीस सौ अट्ठानवे के मई मास की सोलह तारीख को कलकत्ता में मेरे हस्ताक्षर के अधीन जारी किया गया ।

Given under my hand

at Calcutta this sixteenth day of the month of May in the year one thousand nine hundred ninety eight.

(महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक)

~~General Manager~~ / Deputy General Manager

02884

Scanned with CamScanner